FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

देवाराम .... बनाम .... रावताराम वगैरा

किस्म मुकदमा [illegible] 88, 188 RTAct न. 80 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.6.2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ख्यालाराम [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 RTAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोर्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29.6.2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
29/06/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री शिवदत्तराम सियाग द्वारा वकालातनामा मय इकबालिया जवाबदावा मय शपथ-पत्र पेश किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या-1 स्वयं PW-1 देवाराम पुत्र रावताराम जाति-जाट निवासी-अकड़ली तह०-बायतु व स्वतंत्र गवाह PW-2- नारणाराम पुत्र लाधुराम जाति-जाट निवासी- डेरोमोणी पोटलियों की ढाणी बायतु चिमनजी तह०- बायतु के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन	अ. नि. रावताराम देवाराम नारणाराम

करने के बाद वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल [illegible] गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज [illegible] डिक्री पर्चा जारी होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:52:36 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. देवाराम पुत्र रावताराम
2. ओमाराम पुत्र रावताराम
3. जगदीश पुत्र रावताराम
4. अशोकराम पुत्र रावताराम

जातियान्–जाट,
निवासीयान्–अकदड़ा,
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

1. रावताराम पुत्र उगराराम जाति जाट निवासी अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर
2. शाखा प्रबंधक एसबीआई बायतु

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–80 / 2020. **निर्णय दिनांक :–** 29.6.2020

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.6.2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा अकदड़ा पटवार मण्डल अकदड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 367, 368 रकबा क्रमशः 0.0647, 39.8999 हैक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगी। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29.6.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:52:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 80 / 2020

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. देवाराम पुत्र रावताराम
2. ओमाराम पुत्र रावताराम
3. जगदीश पुत्र रावताराम
4. अशोकराम पुत्र रावताराम
   जातियान्–जाट,
   निवासीयान्–अकदड़ा,
   तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

बनाम

1. रावताराम पुत्र उगराराम जाति जाट निवासी अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर
2. शाखा प्रबंधक एसबीआई बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री रिणछाराम सियाग वकील प्रतिवादी संख्या 1

–: निर्णय :– **दिनांक : 29.6.2020**

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा अकदड़ा पटवार मण्डल अकदड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 367, 368 रकबा क्रमशः 0.0647, 39.8999 हैक्टेयर आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही पूर्वज उगराराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण, प्रतिवादीगण संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:52:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया था वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण उगराराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा अकदड़ा पटवार मण्डल अकदड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 367, 368 रकबा क्रमशः 0.0647, 39.8999 हैक्टेयर में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 29.6.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:52:36 IST
Reason: SelfAttested